न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

नं. 2/84/22

तारीख रजू..........................

~~जयसिंह~~ बनाम ~~गायत्रीदेवी वगैरा~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.04.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 944, वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 05.05.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 05.05.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
5.5.22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी हाजिर। अ 2 की ओर से श्री रामजीलाल शर्मा एड० ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। [illegible] पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 6/5/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	[illegible]
6/5/22	वकील उपस्थित। [illegible] बहस 212 [illegible] सुनी गई पत्रावली व प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो की तामील
	गैरसायल की बहस पेश मन किया गया। अतः गैरसायल को पाबन्द किये जाने से उसे किसी तरह का नुकसान, क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। सायलान अपने प्रार्थना-पत्र को साबित करने में सफल रहे है। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में साबित है। अतः सायल की प्रार्थना पत्र अस्थाई स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी ख०न० 144 रकबा 0.13 हे० वाकै ग्राम सुखिआना तहसील कठूमर के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा पक्षकारों पर जारी स्टे आदेश दिनांक 18.4.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नत्थी से कम होकर नत्थी, को ... होकर मूल वाद के साथ शामिल रहे। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	